भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 11

03.02.2025 को उत्तर के लिए

असम में वन रेंजरों के लिए औपचारिक सेवा नियमों का अभाव

11. श्री गौरव गोगोई :

क्या **पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि वर्तमान में असम रारज्य में वन रेंजरों को शासित करने वाले कोई औपचारिक सेवा नियम नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्य में वन रेंजरों के लिए औपचारिक सेवा नियम बनाने और लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है तथा इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) असम में वन रेंजरों की शिकायतों, विशेषकर उनकी सेवा शर्तों, कैरियर की प्रगति और अन्य रोजगार संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने वन रेंजरों की चिंताओं का पर्याप्त रूप से समाधान सुनिश्चित करने के लिए वन रेंजर संघों सहित संबंधित हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): असम सरकार के राज्य वन विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, वन रेंजर के लिए सेवा नियमों का एक मसौदा तैयार किया गया है और इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

विभाग द्वारा मसौदा सेवा नियमों को अंतिम रूप देते समय वन रेंजरों द्वारा अपनी सेवा शर्तों के संबंध में उठाई गई चिंताओं पर उचित रूप से विचार किया जाता है।

*****